न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–486/2018

श्रीमती मंगली पत्नी श्री मोती सिंह जाति सिसोदिया राजपूत निवासी ग्राम रूपा की नॉगल, तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलान्ट/अप्रार्थी संख्या–7

बनाम

1. हरिकिशन पुत्र श्री ग्यारसी लाल, जाति खारवाल, निवासी खारवालो की ढाणी, तन रूपा की नॉगल, तहसील व जिला जयपुर।

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर–1

2. भीवाराम
3. जगदीश
4. रूघनाथ
5. मूलचन्द

   पुत्रान स्वर्गीय सुण्डाराम जाति सिसोदिया खारवाल, निवासी जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।
6. सरपंच ग्राम पंचायत सुमेल, पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार, तहसील जयपुर जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 6

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अपीलांट की ओर से।

2– रेस्पोडेंट –अनुपस्थित

:–निर्णय :– दिनांक :– 16.11.2018

1– यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 13.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रूपा की नांगल, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 213 पूर्व में मकबूजा ठिकाना था, इसी प्रकार खसरा नम्बर 211,212,214 इसके लगते खसरा नम्बरान भी मकबूजा ठिकाना थे जो कृषि अयोग्य भूमि थी, खसरा नम्बर 213 आबादी भूमि खसरा नम्बर 212 की निकास की आराजी बंजड थी जो आबादी के हिस्सा का ही भाग थी। खसरा नम्बर 213 की दस बिस्वा भूमि पर मकानात व बाडे बने हुये हैं, जिसमें प्रार्थी का रहवास बुजुर्गान के समय से है, जिसमें वह निवास करते आ रहे है एवम् पशुबाडा एवं कृषि उपयोगी उपकरण रखने हेतु मकान बने हुये है इसी प्रकार इस खसरा नम्बर में अन्य वासिन्दों के मकान व बाडा मुदत, कदीम से बने हुये है यह खसरा नम्बरान पूर्व में मकबूजा ठिकाना रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पितामह गंगल्या चालाक, चतुर व्यक्ति था जिसने बरवक्त बंदोबस्त 2015 में उक्त विवादित आराजी मकबुजा ठिकाना को भू–प्रबन्ध कर्मचारियान से साज कर अपने नाम खातेदारी अंकित करवा ली, इसकी जानकारी प्रार्थी के बुर्जुगान को नही होने दी और ना ही प्रार्थी को जानकारी हुई वादी निरन्तर उक्त आराजी पर मुद्त से बना मकान व बाडा आदि का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक करता आ रहा है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही है और ना ही विवादित आराजी उनके व उनके बुर्जुगान की खातेदारी की भूमि रही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 212 के निकास पर स्थित है एवं आबादी ग्राम जयसिंहपुरा खोर जाने वाली कच्ची सडक उक्त विवादित आराजी को जाती है उक्त विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे में अन्य कृषक व वासिन्दान के मकान व बाडा बने हुये है उक्त विवादित आराजी में कभी भी काश्त नही हुई है। इस कारण वादी/प्रार्थी को खसरा नम्बर 213 के 1/5 हिस्से बाबत् काबिज काश्तकार घोषित किया जाये तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। उक्त प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान करीब 11 माह बाद दिनांक 12.08.2011 को अपीलार्थीगण की तामिल प्रर्याप्त होना मानकर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिये गये तथा अपीलान्ट/अप्रार्थीया नम्बर 7 द्वारा विवादित भूमि

का अन्य विक्रय पत्र के जरिये खरीद करने के आधार पर पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलान्ट को अप्रार्थीया संख्या 7 के रूप में पक्षकार बनाया। तत्पश्चात् रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 213 रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5/अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों के समय से ही उनकी खातेदारी व काश्तकारी में चली आ रही है तथा उसके साथ खसरा नम्बर 210, 214, 215 भी उनकी खातेदारी, काश्तकारी में चले आ रहे है, जिस पर पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है एवं राजस्व रिकोर्ड में पूर्वजो के समय से उनके नाम खातेदारी चली आ रही है तथा समस्त खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त होने के आधार पर उनके द्वारा अपीलार्थीया/अप्रार्थीया संख्या 7 को विक्रय पत्र के जरिये भूमि का बेचान किया गया तथा विक्रय पत्र के निष्पादन के समय रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 द्वारा अपीलार्थीया को विक्रय पत्र में दर्ज भूमि का कब्जा मौके पर सम्भला गया तथा विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2010 के जरिये अपीलार्थीया को समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो गये है तथा रेस्पोडेंट नं. 1 के हक व अधिकारों से इंकार किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.02.2014 को ताफैसला वाद कंफर्म करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की जाकर बहस अपलार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई।

4– अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को विस्तार से दौहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित पारित किया गया है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा मात्र खसरा नम्बर 213 को आबादी भूमि बताते हुए उसके 1/5 हिस्से की भूमि बाबत् खातेदारी हक व अधिकार होने की घोषणा चाही है तथा इस हद तक ही स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है लेकिन विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 213 बाबत् अपीलाधीन आदेश पारित कर विधिक भूल की है। वाद पत्र में रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि आबादी क्षेत्र होने के कारण प्रतिवादी संख्या 5/रेस्पोडेंट संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया है तथा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र की प्लीडिंग्स में भी विवादित भूमि का उपयोग काश्त हेतु ना कर आवासीय प्रयोजनार्थ किया जाना अभिकथित किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 के स्वयं के कथनानुसार उसके द्वारा आवासीय सम्पत्ति के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालये से अनुतोष चाहा गया है जबकि विवादित खसरा नम्बर की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की खातेदारी की भूमि नही है तथा ना ही उसको कोई खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडंट संख्या 1 के स्वयं के स्वीकारयुक्त कथनानुसार आवासीय सम्पत्ति के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनने का अधिकार क्षेत्र ही नही होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खसरा नं. 213 के अड़वा आबादी भूमि खसरा नम्बर 212 स्थित है जिस पर आबादी बसी हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का यह स्वीकारयुक्त कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 के पितामह गंगल्या द्वारा सम्वत् 2015 में बंदोबस्त के दौरान उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली गई। यदि वास्तव में रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा होता तथा उसके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा होता तो अवश्य ही रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 के पितामह गंगल्या के हक व खौले गये नामान्तकरण को चैलेंज किया जाता। रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 के पितामह के हक में खौले गये नामान्तकरण को किसी के द्वारा चैलेंज नही किया गया, तत्पश्चात् उनके वारिसान के हक में खौले गये नामान्तकरण को भी चैलेंज नही किया गया तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 के हक में खौले गये नामान्तकरण को भी किसी के द्वारा चैलेंज नही किया जाना यह स्पष्ट करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 का कोई हक व अधिकार विवादित खसरा नं. 213 की भूमि में निहित नही है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त वाद पत्र मय

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सितम्बर 2010 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 द्वारा विवादित खसरा नम्बर 213 की भूमि का बेचान अन्य भूमि के साथ उनको प्राप्त खातेदारी हक अधिकारों का उपयोग उपभोग करते हुये विधिवत् रूप से उसके पूर्व ही दिनांक 11.08.2010 के विक्रय पत्र के जरिये किया जाकर भूमि का कब्जा सम्भलाया जा चुका था, ऐसी स्थिति में जब तक अपीलार्थीया के हक में तहरीर कर पंजीयन करवाये गये विक्रय पत्र को नल एण्ड बोईड घोषित नही करवा दिया जाता तब तक रेस्पोडेंट संख्या 1 को किसी प्रकार की खातेदारी हक अधिकरों की घोषणा करवाने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 जो कि रेस्पोडेट संख्या 2 ता 5 से सस्ते में भूमि हथियाना चाहता था जो कि रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 द्वारा उसको नही दिये जाने पर उसके द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में रहते हुय उसमें वर्णित भूमि बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कोई अनुतोष एक विधिक क्रेता के हक अधिकारों का हनन करते हुये कानूनन पारित नही किया जा सकता। उक्त कानूनी स्थिति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी विधिक क्रेता को उसके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसको उसके हक अधिकार का उपयोग उपभोग करने से वंचित नही किया जा सकता। उक्त सिद्धान्त को भी अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2012 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसको अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा आपस में मिलीभगत कर तैयार करवाई गई है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व ना तो रेस्पोंडेन्ट नं. 2 ता 5 खातेदारान को सूचित किया गया, ना ही अपीलार्थीया रजिस्टर्ड क्रेत्री को सूचित किया गया, ना ही उसकी मौजूदगी में नक्शा रिपोर्ट तैयार की गई, ना ही अन्य किसी मौके पर मौजूद गवाहान की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई, ना ही यह अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 213 के किस भाग पर किस व्यक्ति का कब्जा है तथा कितनी जगह पर आबादी बसी हुई है। जबकि खसरा नम्बर 213 के उत्तर व दक्षिण की तरफ खेती किया जाना स्पष्ट अंकित है। उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा खसरा नम्बर 213 की भूमि पर होने बाबत् कोई उल्लेख नही किया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व मौके पर जमीन की कोई पेमाईश नही की गई जिससे यह स्पष्ट होता हो कि जो आबादी बसी हुई होना जाहिर किया गया है वह खसरा नम्बर 213 का भाग है। जांच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व मौक पर पैमाईश किया जाना आवश्यक था तथा इसी से यह स्पष्ट हो सकता था कि रेस्पोडंट संख्या 1 का अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नं. 213 पर कब्जा है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में खसरा नम्बर 213 पर अपीलार्थीया का कब्जा नही होना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं, जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2012 में भी मौके पर खसरा नम्बर 213 की भूमि पर काश्त होना स्वीकार किया गया है तथा अपीलार्थीया का कब्जा खसरा नम्बर 213 पर होना स्पष्ट प्रतीत है। राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 213 की भूमि राजस्व रिकोर्ड में बारानी 3 दर्ज की हुई है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की मूल विषयवस्तु से हटकर यह अवधारणा कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है कि " स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुई ऐसी स्थित में मौका विपरीत विक्रय पत्र के अनुसार क्रेता अप्रार्थी (अपीलान्ट) का कब्जा नही माना जा सकता।" अधीनस्थ न्यायालय की उक्त अवधारणा से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश में पत्रावली पर कोई तथ्य मौजूद नही होने के बावजूद मनमाने रूप से उक्त टिप्पणी करते हुय अपीलार्थीया को विक्रय पत्र के जरिये प्राप्त हुये हक अधिकारों का हनन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5– रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही हुए जिसके कारण उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर बहस अपीलार्थी सुनी गई।

6– अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का बगौर अवलोकन किया गया। अपीलार्थीया भूमि वादग्रस्त की सदभावी क्रेता है जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि दिनांक 11.08.2010 को क्रय की है तथा भूमि पर

काबिज रहकर कृषि कार्य कर रही है। विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को अपीलाधीन आदेश से पाबन्द फरमाया है। भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूमि पर अपने अधिकारो के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। रेसपोडेन्ट संख्या 1 ने अपने स्वयं के कथन में यह स्वीकार किया है कि भूमि वादग्रस्त पर उसके स्वयं का पशु बाडा, बीज गोदाम, चारा रखने हेतु स्थान बना हुआ है एवं अन्य व्यक्तियों के बाडे मकान आदि बने हुए है रेस्पोडेन्ट ने इसी आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वयं के कथनानुसार उसके द्वारा आवासीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय से अनुतोष चाहा गया है जबकि विवादित आराजी अपीलार्थीया की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थित में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वयं के स्वीकारोक्ति अनुसार आवासीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन कर स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के पितामह ने सम्वत् 2015 में बन्दोबस्त के दौरान उक्त वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पूर्वजो द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के पितामह के हक में खोले गये नामान्तरकरण को कभी चुनौति नही दी गई न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के हक में खोले गये नामान्तरकरण को कभी चुनौति दी गई है विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सितम्बर 2010 में प्रस्तुत किया गया है जबकि रेसपोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा विवादित खसरा नम्बर 213 की भूमि का बेचान अन्य भूमि के साथ उनको प्राप्त खातेदारी हक अधिकारो का उपयोग उपभोग करते हुए विधिवत रूप से दिनांक 11.08.2010 के पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये किया जाकर भूमि का कब्जा अपीलार्थीया को सम्भलाया जा चुका था। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसको अपने हक अधिकारों का उपयोग उपभोग करने से वंचित नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2012 प्रस्तुत की गई है वह भी अपीलार्थीया को सूचना दिये बिना एकपक्षीय रूप से तैयार की गई है प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा खसरा नम्बर 213 की भूमि पर होने बाबत् कोई उल्लेख नही किया गया है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भूमि की कोई पेमाईश नही की गई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि जो आबादी बसी हुई होना जाहीर किया गया है वह खसरा नम्बर 213 का भाग है जबकि जॉच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व मौके पर पैमाईश किया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का अपीलांट द्वारा क्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 213 पर कब्जा है या नही यह भी विवादग्रस्त भूमि की पैमाईश से ही स्पष्ट हो सकता था। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी/रेस्पोडंट संख्या 01 के पक्ष में नही है। रिकॉर्डेड खोतेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने से उसे ही अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थी रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश द्वारा एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के उसके अधिकारो से वंचित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। उपर्युक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है तथा अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7– अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2016 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को सुनाया गया।

16

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर